

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-1

लखनऊ:: दिनांक:: 31-05-2026

विषय: राज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण की अवधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026-27 विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2/2026/93/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2026-1/3/96, दिनांक 05-05-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्यक विचारोपरांत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 05-05-2026 के प्रस्तर-8 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत स्थानान्तरण नीति से आच्छादित राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण की अवधि दिनांक 15-06-2026 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त विस्तारित समयावधि के अंतर्गत ही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Dharmendra Mishra
Date: 31-05-2026
18:18:04
(धर्मेन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।